



निर्वाचन तत्काल

# अपील

1 फोटो निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2018 के दौरान 01 जनवरी 2018 की अर्हता तिथि को 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु पूर्ण करने वाले समस्त पात्र एवं नवीन युवा मतदाताओं से अनुरोध है, कि फोटोयुक्त मतदाता सूची दिनांक 31 जुलाई 2018 से 21 अगस्त 2018 तक में आपका नाम जुड़वाने के लिये निःशुल्क आवेदन (निर्धारित फार्म-06) प्रतिदिन प्रातः 10.30 बजे से साय 05.00 बजे तक अपने निवास क्षेत्र के मतदान केन्द्र पर उपस्थित बुथ लेवल अधिकारी (बी.एल.ओ.) के पास आवश्यक दस्तावेजों (1-दो रंगीन फोटोग्राफ पासपोर्ट साईज, 2 - आयु का प्रमाण पत्र, 3-निवास का प्रमाण पत्र ) के साथ जमाकर मतदाता होने का गारव प्राप्त करें ।

फोटो निर्वाचक नामावली में ऑन लाईन आवेदन करने हेतु स्मार्ट मोबाईल पर आयोग वेबसाईड [www. ceomadhyapradesh.nic.in](http://www.ceomadhyapradesh.nic.in) का प्रयोग कर **Online Services For Voters / www.nvsp** का प्रयोग करें ।

आवेदन प्रस्तुत करते समय आवेदन की प्राप्ति रसीद बी.एल.ओ. से उसकी जानकारी (नाम व मोबाईल नंबर सहीत ) अनिवार्यतः प्राप्त करें ।

2 फोटो निर्वाचक नामावली में दर्ज प्रविष्टि को हटाने के आवेदन पत्र प्ररूप 07 में प्रस्तुत करें ।  
3 इसके अतिरिक्त फोटो निर्वाचक नामावली में आवश्यकतानुसार मतदाता के फोटो, नाम,उपनाम, पता, आदि के संशोधन के लिये आवेदन (निर्धारित फार्म -08) व रूपयें 25/- का भारतीय स्टेट बैंक शाखा में में चालान से जमा करें ।

- 0070- अन्य प्रशासनिक सेवाएँ
- 02- निर्वाचन
- 101- निर्वाचन कार्य विवरणों की बिक्री
- 104- फीस जुर्माना प्राप्ति
- 800- अन्य प्राप्ति

4 फोटो निर्वाचक नामावली से नाम स्थानान्तरण जैसे (मतदान केन्द्र/विधान सभा/ तहसील/ जिला बदलने के लिये फार्म 08-क ) मूल वोटर आय0डी. कार्ड के साथ संबंधित बी.एल.ओ. को जमा करावें । एवं अन्य जगह नाम जुड़वाने हेतु निर्धारित फार्म-6 के कालम 04 की पूर्णता कर नवीन स्थान पर फार्म जमा करावें ।